संख्या :5505/8–3–11–137विविध/10

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
   लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर,2011

विषयः हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं के स्वीकृत क्षेत्रफल हेतु शुल्क सहित भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हाईटेक टाउनशिप नीति के संबंध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि वर्तमान में प्रभावी व्यवस्था के अंतर्गत भू–उपयोग परिवर्तन, भू–स्वामी से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर ही किया जा सकता है। हाईटेक टाउनशिप योजना के लिए चूंकि भूमि क्रय की कार्यवाही विभिन्न चरणों में की जाती है तथा भू–स्वामित्व प्राप्त होने में समय लगता है, साथ ही जब तक भू–स्वामित्व प्राप्त नहीं होता तथा भू–उपयोग परिवर्तन नही हो जाता है, तब तक उक्त भूमि पर तलपट मानचित्र भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में स्वीकृत क्षेत्रफल के सापेक्ष 60 प्रतिशत भूमि का भू–स्वामित्व प्राप्त होने पर सम्पूर्ण भूमि का शुल्क सहित भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करते हुए तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाए।

2– अतः इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक–01.09.2011 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत चयनित विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित किसी चरण के अंतर्गत यदि भू–उपयोग परिवर्तन से कुल आच्छादित भूमि के 60 प्रतिशत भूमि क्रय कर ली जाती है तो विकासकर्ता से समस्त भू–उपयोग परिवर्तन से आच्छादित भूमि पर देय शुल्क वसूल करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन पर इन

शर्तों के अधीन विचार किया जाय कि अवशेष भूमि पर स्वामित्व होने तक विकासकर्ता को ऐसी किसी अवशेष भूमि पर न तो डेवलपमेन्ट राइट्स प्राप्त होंगे और न ही वह ऐसी किसी भूमि का विक्रय कर सकेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या:5505(1)/8–3–11–137विविध/10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश,लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए इसे सर्व सम्बन्धितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अनुभाग–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव